न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/78/2021

अपीलांट श्री भगवान सिंह पुत्र श्री सुजान सिंह राजपूत
निवासी लाबराऊ पोस्ट भँवरलाई जिला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रामसर

आदेश

दिनांक : 22.11.2021

अपीलार्थी श्री भगवान सिंह पुत्र श्री सुजान सिंह राजपूत निवासी लाबराऊ पोस्ट भँवरलाई जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी रामसर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 22.10.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/– का पोस्टल ऑर्डर संख्या 532034 दिनांक 06.09.2021 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रामसर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को टिप्पणी प्रस्तुत कर प्रकट किया है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना का प्रार्थना–पत्र कार्यालय के पत्र क्रमांक 2616 दिनांक 12.11.2021 के द्वारा भिजवाई जा चुकी है। लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावें।

हमने अपीलांट की अपील, रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट को जारी पत्राचार का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाते हुए निस्तारण किया गया है। अतः रेस्पोडेंट के जवाब का अपील मीमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 22.11.2021 को न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:45:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर